

कार्यालय आदेश - 37

आचार्य चतुर्थ सत्रार्थ एवं एम.ए. चतुर्थ सत्रार्थ के परीक्षार्थियों के लघुशोध प्रबन्ध (Dissertation) जमा करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 05.05.2024 तक अपना शोध प्रबन्ध अपने मार्गदर्शक के पास वर्ड फाईल एवं पी.डी.एफ. फॉर्मेट में अवश्य जमा करें। दिनांक 6-7 मई को उसके अचौर्यता प्रमाण-पत्र (Plagiarism Report) प्राप्ति की प्रक्रिया करनी है। यह प्रमाण-पत्र परिसरीय पुस्तकालय से डॉ. घनानन्द त्रिपाठी द्वारा निर्गत किया जायेगा। तदुपरान्त अपने लघुशोध प्रबन्ध की दो प्रतियाँ उपर्युक्त प्रमाण-पत्र व अन्य अपेक्षित संलग्नकों सहित स्पायरल बाईंडिंग कर अपने मार्गदर्शक को सौंपेंगे। मार्गदर्शक सम्बन्धित शोध-प्रबन्ध को स्वयं तथा संयोजक द्वारा निर्दिष्ट स्वविभागीय एक अन्य प्राध्यापक से मूल्यांकित करायेंगे। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया दिनांक 8 मई, 2024 तक पूर्ण कर लेनी है। तदुपरान्त दिनांक 9-10 मई, 2024 को बाह्य-विशेषज्ञ की उपस्थिति में वाक् परीक्षा होगी। उपर्युक्त कक्षा के छात्रावासीय विद्यार्थियों को दिनांक 10 मई, 2024 तक छात्रावास में रहने की अनुमति दी जाती है।

  
(प्रो. सर्वनारायण झा)  
निदेशक

प्रतिलिपि-

- 1 उपर्युक्त सभी को सूचनार्थ
- 2 कार्यालय आदेश सञ्चिका
3. प्रो. गुरुचरण सिंह नेगी, IQAC समन्वयक
- 4 सम्बद्ध सञ्चिका के लिए श्री वेद प्रकाश, अवर श्रेणी लिपिक
- 5 वेबसाइट पर अपलोड हेतु श्री मुकुल कुमार मिश्र, तकनीकी सहायक
- 6 निदेशक कार्यालय प्रति श्री प्रवीण कुमार, डीईओ

  
निदेशक